कार्यवाही विवरण

मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड, ग्राम–बिदियाडीह, बोहारडीह, भुरकुण्डा एवं गोदाडीह, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित लाईम स्टोन माईन क्षमता–3.9 मिलियन टन/वर्ष, वेस्ट/टॉपस्वाईल–2,25,000 घनमीटर/वर्ष (Maximum), एवं क्रशर–1000 टीपीएच (एमएलए 582.962 हेक्टेयर) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 07/06/2019 दिन–शुक्रवार, समय–12.00 बजे, स्थल–ग्राम बोहारडीह आदर्श आंगनबाडी भवन क्रं.–1 के पास खेल मैदान में ग्राम पंचायत बोहारडीह, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरणः–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत **मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड, ग्राम–बिदियाडीह, बोहारडीह, भुरकुण्डा एवं गोदाडीह, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित लाईम स्टोन माईन क्षमता–3.9 मिलियन टन/वर्ष, वेस्ट/टॉपस्वाईल–2,25,000 घनमीटर/वर्ष (Maximum), एवं क्रशर–1000 टीपीएच (एमएलए 582.962 हेक्टेयर) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति** के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्रों हरिभूमि, बिलासपुर एवं पत्रिका, बिलासपुर में दिनांक 02.05.2019 के अंक में तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 02.05.2019 लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई **दिनांक 07/06/2019 दिन–शुक्रवार, समय–12.00 बजे, स्थल–ग्राम बोहारडीह आदर्श आंगनबाडी भवन क्रं.–1 के पास खेल मैदान में ग्राम पंचायत बोहारडीह, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु **कार्यालय कलेक्टर–बिलासपुर, जिला पंचायत कार्यालय–बिलासपुर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र–बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, कार्यालय ग्राम पंचायत भरारी, कार्यालय ग्राम पंचायत लोहर्सी, कार्यालय ग्राम पंचायत चिल्हाटी, कार्यालय ग्राम पंचायत पताईडीह, कार्यालय ग्राम पंचायत केवटाडीह, कार्यालय ग्राम पंचायत सुलोनी, कार्यालय ग्राम पंचायत भुतहा–केवटाडीह, कार्यालय ग्राम पंचायत सुकुलकारी, कार्यालय ग्राम पंचायत केवतरा, कार्यालय ग्राम पंचायत बोहारडीह, कार्यालय ग्राम पंचायत भुरकुण्डा, कार्यालय ग्राम पंचायत गोडाडीह, जिला– बिलासपुर (छ.ग.), कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा, जिला पंचायत कार्यालय जांजगीर–चांपा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय चांपा, जिला– जांजगीर–चांपा, कार्यालय ग्राम पंचायत कोसिर, कार्यालय ग्राम पंचायत ससहा, कार्यालय ग्राम पंचायत सोन, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लयू.सी.जेड.) पर्यावरण,**

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राऊण्ड फ्लोर ईस्ट विन्ग, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 07/06/2019, दिन शुक्रवार को समय 12:40 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर की अध्यक्षता में **स्थल–ग्राम बोहारडीह आदर्श आंगनबाडी भवन क्रं.–1 के पास खेल मैदान में ग्राम पंचायत बोहारडीह, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

लोक सुनवाई स्थल पर लोक सुनवाई होने के पहले से ही नारे बाजी की जा रही थी।

सर्वप्रथम श्री बी. एस. उईके, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से डॉ. व्ही. एस. कपूर द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई।

अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

इसी समय जनसमूह द्वारा एसीसी वापस जाओ का नारा लगाया गया, लगाया गया। हल्ला होना शुरू हुआ। तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री लक्ष्मी प्रसाद भार्गव, ग्राम पंचायत गोहाडीह संरपंच** :– कृपया हल्ला न करें बात सुने सबको मौका मिलेगा। जितने भी लोग दूरदराज से आये है सबका स्वागत है। आज जो जन सुनवाई हो रही है उसका घोर विरोध करता हू। हमको बोला गया कि गांव में एसीसी सीमेंट फैक्ट्ररी लगाया जायेगा। पर यहां तो माइंस लगाया जा रहा है। इससे किसी का भला नहीं होगा। यह जनसुनवाई विधिवत नहीं है। मै जनसुनवाई भंग करने की मांग करता हूॅ। सारी जिम्मेदारी आप की होगी। इसका मै एक वर्ष से विरोध करता हूॅ।

2. **श्री राजेश्वर भार्गव :–** विरोध करता हूॅ। आज जो जनसुनवाई है जनहित को देखते हुए स्थगित किया जाये।

3. **श्री लतेल दिनकर** :– अभी पता चला माइंस खुल रहा है। हम विरोध करते है। अगर फैक्ट्ररी है तो हम समर्थन करते है। माइंस है तो विरोध करते है।

4. **श्री दामोदर :–** सभी लोगों को गुमराह कर रहे है सभी किसानो का राय है समर्थन नहीं है हम इनका घोर विरोध करते है।

नारे बाजी की गई जन सुनवाई स्थगित करो के नारे लगाये गये एसीसी कंपनी हाय–हाय, मुर्दाबाद के नारे लगाये गये।

5. **श्री चंद्रप्रकाश सूर्या जिला उपाध्यक्ष भाजपा बिलासपुर** :– विरोध करते है।

6. **श्री भागबली धृतलहरे, गोदाडीह**:– विरोध करते है।

7. **श्री पन्ना लाल दिव्या :–** विरोध करते है। एसीसी कंपनी वापस जाओ।

8. **श्री मनोहर कुर्रे :–** विरोध करता हू। ये हमारे धरती को लूटने आये है हमारे मौलिक अधिकारो को लूटने आये है धरती के कीमती पत्थर को लेने आये है। पूरी की पूरी जमीन किसानो को वापस किया जाये। गांव में फैक्ट्ररी मत खुले।

9. **श्री अमित जोगी** :–सबसे पहले छत्तीसगढ का पहला एवं एक मात्र मान्यता प्राप्त दल का प्रतिनिधि होने के नाते आप लोग जो इस जनसुनवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे है मै उसका समर्थन देता हूॅ। हमारा परिवार एक है हम सब छत्तीगढीया है। यहां जो अधिकारी आये है मै उनसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। एसीसी के जो अधिकारी आये है उन्हे छत्तीसगढी आती है कि नहीं। सबसे पहला प्रश्न है कि

ईआईए रिपोर्ट जो 300 पन्ने की है, मस्तूरी में कितने लोग है जिन्हें अंग्रेजी आती है। जो एसीसी कंपनी रिपोर्ट बना रही है वो अंग्रेजी में क्यो बना रही है छत्तीसगढी व हिन्दी में क्यो नहीं बना रही है। यहां पर टाईम्स ऑफ इंडिया कौन–कौन पढ़ता है। लोक सुनवाई की सूचना का प्रकाशन अंग्रेजी अखबार में करते है। चुपचाप हमको ठगना चाहते है। सरपंच जी बोल रहे थे जब आप प्रचार कर रहे थे तब यह कह रहे थे कि फैक्ट्ररी खुलेगी, लेकिन फैक्ट्ररी के बजाय खदान खोलना चाहते है। रिपोर्ट में क्या लिखा है मै रिपोर्ट का सार मै आपको बता रहा हॅू। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे जमीन से 40 लाख टन सीमेंट निकालना चाहते है। हर साल पूरा खोद के 10 लाख टन निकालेंगे। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि 10 किमी. के क्षेत्र के अंदर कोई जल स्त्रोत नहीं है। क्या तुम अंधे हो ? यहां आसपास लीलागर, अरपा, शिवनाथ नदी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खदान के लिए 3लाख 30 हजार पानी रोज देना पडेगा। नौकरी नहीं मिलेगी ये मै नहीं कर रहा हू कंपनी की रिपोर्ट कह रही है। और बदले में क्या मिलेगा। तुम लोगों को 01 एम्बुलेंस और स्व्च्छ जल देंगे इसके अलावा कोई चीज नहीं लिखी है। 01 एम्बुलेंस और 01 मटका पानी के लिए क्या सारी जमीन तुम लोगों को दे देंगे। मै शासन से निवेदन करता हॅू कि केन्द्रीय जल मंत्रालय द्वारा जल ड्राफ्ट बिल पास हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पानी में पहला अधिकार पेयजल का है दूसरा सिंचाई का है इसके बाद उद्योग को देना चाहिए। हमारे लोग बूंद बूंद पानी को तरसेंगे। मै यहां के नेताओ से अनुरोध करता हॅू कि ड्राफ्ट वॅाटर बिल को कानून बनाना चाहिए। मै इस जन सुनवाई का विरोध करता हॅू। मै जहां जहां गया हू वहां एक भी जन सुनवाई की कार्यवाही नहीं हुई है। यहां भी वही हाल होगा। जिन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई है इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए। रिपार्ट का हिन्दी छत्तीसगढी में ट्रांसलेशन कराकर हमको जानकारी मिलना चाहिए।

एसीसी वापस जाओं के नारे लगाये गये, हो हल्ला होने लगा।

10. **<u>श्री केदाननाथ घृतलहरे, गोदाडीह</u> :** मै कंपनी का समर्थन करता हॅू।

11. **<u>श्री आशाराम भारतद्वाज, गोदाडीह</u> :– ख**ोलना जरूरी है।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री पी.पी. पाण्डेय, उपप्रबंधक माइंस **मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड, ग्राम–बिदियाडीह, बोहारडीह, भुरकुण्डा एवं गोदाडीह, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 2.00 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई समाप्त होने की घोषणा की गई।

समाप्ति की घोषणा के साथ ही लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 30 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 11 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 600 व्यक्ति उपस्थित थे। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर